



झारखण्ड सरकार  
वाणिज्य-कर विभाग

**महत्वपूर्ण सूचना**

विभिन्न व्यवसायियों तथा व्यवसायिक संघों के अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत नये त्रैमासिक विवरणी (NEW JVAT 200) के दाखिल करने की अंतिम देय तिथि 25.07.2015 को बढ़ाकर दिनांक 15.08.2015 की जाती है।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम त्रैमास में व्यवसायियों को उक्त JVAT 200 के साथ निबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री का विस्तृत बीजकवार (Invoice Wise) विवरण दाखिल करना अनिवार्य है।
- प्रथम त्रैमास में अनिबंधित व्यवसायियों तथा उपभोक्ताओं को की गयी बिक्री का बीजकवार विवरण (Invoice Wise) देने की आवश्यकता नहीं है।
- द्वितीय त्रैमास (जुलाई, 2015 – सितम्बर, 2015) विवरणी दाखिल करने के साथ अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री का Invoice Wise विवरण देना अनिवार्य होगा।
- उपभोक्ताओं को की गयी बिक्री का विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त जानकारी हेतु HELP DESK दूरभाष संख्या 0651-6066005 / 0651-2446102 / 0651-6999975 / 0651-6999976 पर (सुबह 10:00 से संख्या 8:00 बजे तक) तथा संध्या 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक मोबाईल संख्या-7762837076 एवं 7762837078 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

वाणिज्य-कर विभाग  
झारखण्ड सरकार